न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

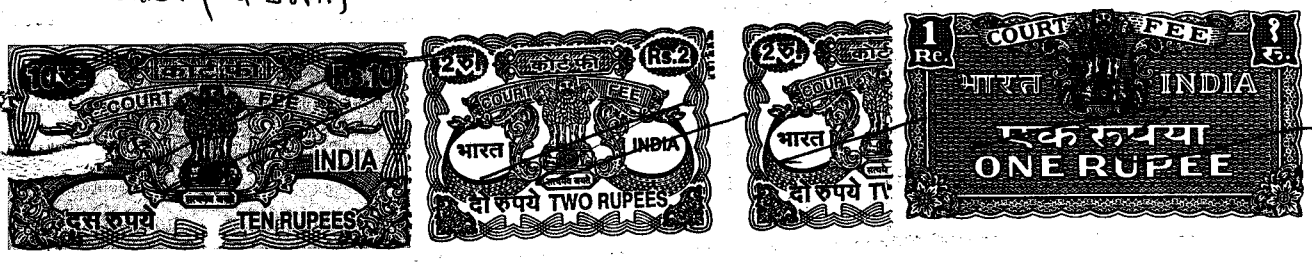

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर

R 334-III/14

श्रीमती पूजा जैन पत्नी श्री प्रकाशचन्द्र जैन, निवासी– वार्ड नं. 4 पुराना बाजार, घुवारा, तहसील घुवारा, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

—— आवेदिका

विरूद्ध

(1) बन्दना जैन पत्नी राजकुमार जैन, निवासी वार्ड क्रमांक 7, तहसील घुवारा, जिला–छतरपुर

(2) मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर, जिला–छतरपुर

—— अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील घुवारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 818/ बी–121 /12–13 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घुवारा का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 बन्दना जैन पत्नी राजकुमार जैन, द्वारा तहसीलदार घुवारा के समक्ष एक आवेदन–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम घुवारा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 4000 मे खातेदारों के सड़क के रकवे की जानकारी चाहने बावत् इस पर तहसीलदार घुवारा द्वारा बिना किसी जांच के यह जानकारी दी कि सर्वे क्रमांक 4000/1/4/1 रकवा

21-1-14
K. K. Dwivedi

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – छतरपुर

प्रकरण कमांक निग0 334–तीन/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
29/10/15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आवेदिका द्वारा तहसीलदार, तहसील घुवारा के प्रकरण कमांक (पत्र) 818/बी–121/12–13 दिनांक 4–2–13 के विरूद्ध पेश की गई है । इस पत्र के द्वारा तहसीलदार ने आवेदिका को सर्वे नं. 4000 में खातेदारों के सड़क के रकबे की जानकारी दी गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका को उसके द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है । आवेदिका उससे किस प्रकार प्रभावित है इस संबंध में उनके अधिवक्ता द्वारा कोई समाधान कारक कारण नहीं दिया गया है । वैसे भी आवेदिका द्वारा तहसीलदार के उक्त पत्र दिनांक 4–2–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी 21–1–14 को पेश की गई है जो अवधि बाह्य है । विलंब क्षमा करने हेतु ना तो कोई पत्र और ना ही शपथपत्र है । न्यायदृष्टांत 1996 आर0एन0 258 हीरालाल विरूद्ध नाथूलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :– " धारा 5– विलम्ब की माफी के लिए आवेदन तथा शपथ पत्र फाइल नहीं किया गया – 5 दिन का विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है ।" उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में यह निगरानी इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । परिणामतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हो । सदस्य	